## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 745]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2010/चैत्र 30, 1932

No. 745

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2010/CHAITRA 30, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

का.आ. 901(अ).—स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 67 के साथ पठित इसकी धारा 42 की उप-धारा (1) और सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सशस्त्र सीमा बल से कम से कम हैड कांस्टेबल की श्रेणी के अधिकारियों को धारा 42 और 67 में उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एन-11012/3/2009-एन सी-II]

विमला बक्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2010

S.O. 901(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) read with Section 67 thereof and Section 153 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby empowers the officers, not below the rank of Head Constable of the Sashastra Seema Bal, to exercise the powers and perform duties specified in Sections 42 and 67 within the area of his jurisdiction.

[F. No. N-11012/3/2009-NC-II]

VIMLA BAKSHI, Under Secy.